

आदेश-पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक-ता०.....से
जिला-सिमडेगा, संख्या...S.A.R...89/2010 श्रीमति शाहिल सवांसी
केस का प्रकार:- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969
बनाम
श्री मनोज कुमार सिंह

आदेश की कम सं० आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर की गई कार्रवाई
और तारीख

श्री श्रीमति शाहिल सवांसी
पिता श्रीमति सुधना सवांसी
साकिन श्रीमति सुधना सवांसी थाना सिमडेगा
जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित
जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी श्री मनोज कुमार
सिंह धिला २९० मुलान सिंह

साकिन- श्रीमति सुधना सवांसी थाना सिमडेगा

जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार
अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का
अनुरोध करते हैं।

ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
सिमडेगा	58	631	0.15 रोवंग

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 22/11/2010
को उपस्थापित करें।



अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22/11/2010

आभिलेख उपरवा 11 फरवरी / मॉर्टिस का वांमिला
पालवेदन वापस प्राप्त है। आभिलेख अनुपस्थित
विषय का जारू से अधिकतम। मर्यादा 45 के
साथ हाजरी 45 है। दिनांक 29/11/2010 को रखा।

अनुं दण्डा
सिमडेगा।

29/11/2010

उभय पक्ष का आभिलेख का रखा परती नदी है।
आभिलेख दिनांक 1-12-2010 को रखा।

अनुं दण्डा
सिमडेगा।

1-12-2010

उभय पक्ष का आभिलेख का रखा परती नदी
है। दिनांक 1/2/11 को रखा।

अनुं दण्डा
सिमडेगा।

1/2/11


उभय पक्ष की ओर से हाजरी पड़ी। तथा
उभय पक्ष जबाब दाखिल किया गया
है। आभिलेख 18-3-2011 को रखा।

अनुं दण्डा
सिमडेगा।

18-3-2011

उभय पक्ष उपस्थित। सहायक सरकारी
आभिलेख का जहाज को सुना जावेगा।

अनुं दण्डा
सिमडेगा।



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा
(विधि शाखा)

श्रीमती राहिल सवांसी
बनाम
श्री मनोज कुमार सिंह

वाद संख्या -एस0ए0आर0 89/2010
दिनांक-

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदिका श्रीमती राहिल सवांसी,पति- स्व0 बुधनाथ सवांसी, साकिन सलडेगा,थाना सिमडेगा,जिला सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदिका ने लिखा है,कि विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह, साकिन सलडेगा,थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है।

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सलडेगा	58	631	0.15 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। न्यायालय में आवेदिका तथा विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह, अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में बतलाया कि वाद में प्रश्नगत भूमि खाता नं0 58 प्लॉट नं0 631 रकबा 0.15 डिसमिल आवेदिका के खरीदगी जमीन है, उक्त जमीन को आवेदिका द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह,ग्राम सलडेगा,थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा के हाथ गैर कानूनी ढंग से पूर्व में ही बेच दी थी। उपरोक्त जमीन पर विपक्षी मनोज कुमार सिंह मकान बारी बना कर शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह रापष्ट किया चूंकि आवेदिका ने विपक्षी के पिता को उक्त भूमि रहने बसने के लिए आपसी सहमति से कुछ राशि प्राप्त कर बिक्री कर दिया था। इसलिए वर्तमान में विपक्षी को बेदखल करना राष्ट्रीय क्षति होगी एवं न्यायसंगत नहीं होगा। आवेदिका का अनुरोध है कि वाद में प्रश्नगत जमीन को वापस दिलवाया जाय। आवेदिका अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव में विपक्षी से मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि श्री मनोज कुमार सिंह ने वाद के आवेदिका श्रीमती राहिल सवांसी,पति स्व0 बुधनाथ सवांसी ने उक्त जमीन को "आज"से करीब 1967 ई0 से पूर्व विपक्षी के पिता स्व0 झुलन सिंह ने कय किया था उक्त जमीन आपसी बंटवारे में विपक्षी के हिस्से की जमीन है। उक्त प्रसंगत जमीन पर मकान बारी बनाया गया है,जिसका अनुमानित कीमत 200000.00(दो लाख)रुपये है आवेदिका के जमीन पर कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। सिर्फ खरीदगी पट्टा दिखाती है। उक्त प्रोसिडिंग की जमीन में विपक्षी का पक्का मकान एवं घेरा बनाया गया है जिसे तोड़वाने से राष्ट्रीय क्षति होगी।



विधि कर्मचारी
सिमडेगा

विपक्षी उक्त जमीन पर लम्बे समय से खतियानी रैयत एवं वर्तमान रैयत की जानकारी में शांतिपूर्वक दखलकार होकर अपना स्वामित्व हासिल कर चुके हैं इसलिए विपक्षी को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा। अपितु विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह आवेदिका को प्रश्नगत भूमि के बदले विपक्षी आवेदिका को उचित मुआवजा देने को तैयार है। अतः वाद में प्रश्नगत जमीन पर उनका हक-दखल संपुष्ट किया जाय।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रश्नगत जमीन के आवेदिका एवं विपक्षी के पिता द्वारा कय विक्रय किया गया है। विपक्षी उक्त प्रश्नगत जमीन पर पक्का मकान, घेरा बना कर सपरिवार रह रहें है। विपक्षी लगभग 1967 ई0 पूर्व से शांतिपूर्वक दखलकार हैं। आवेदक उक्त जमीन के बदले उचित मुआवजा राशि लेने को तैयार है, तथा विपक्षी मुआवजा देने को तैयार है।

अंचलाधिकारी, सिमडेगा ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 10(11)/रा0 दिनांक-4.01.11 द्वारा सूचित किया है कि विपक्षी का 0.12½ एकड़ भूमि पर कब्जा है एवं 1967 ई0 से है। मकान 2005 में पक्का मकान शहन निर्मित है जो 0.02 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। इससे पूर्व सम्पूर्ण 0.12½ एकड़ पर घेरा बारी बनाकर शांति पूर्वक दखल कब्जा है। मकान एवं घेरा का अनुमानित मूल्य 200000(दो लाख) रुपये है। खतियानी भाकु मुण्डारी, पिता ननकु मुण्डारी है आवेदिका द्वारा भूमि कय की गयी है। पंजी 11 के रैयत श्रीमती राहिल सवांसी, पति स्व0 बुधनाथ सवांसी है।



उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस तथा आवेदन के बयान को सुना दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जवाब का भी अवलोकन किया

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के लागू होने से पूर्व से विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर दखल है, परन्तु आवेदिका ने 1981 ई0 में इलियाजर मुण्डा से जमीन रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा खरीदी और इस जमीन पर विपक्षी को दखल करने दिया गया। अतः इस वाद के भूमि पर आवेदिका ने विपक्षी को अधिकार अपनी सहमति से दिया है। आवेदिका के बयान के आधार पर जिसमें उन्होंने आपसी सहमति से विपक्ष को भूमि पर दखल की अनुमति एवं अधिकार दिया है साथ ही 30 वर्षों से विपक्षी भूमि पर दखलकार है। आवेदिका द्वारा मुआवजा की मांग की जा रही है। अतः मैं इस निस्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदिका और मनोज कुमार सिंह के आपसी सहमति न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा सलडेगा के खाता नं0 58 प्लॉट नं0 631 रकबा 0.12½ एकड़ का 50000.00(पचास हजार) रुपये प्रति डिसमील की दर से कुल 625000.00(छः लाख पचीस हजार) रुपये आदेश पारित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संबंधित अधिवक्ता के पहचान पर और दोनों पक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में भुगतान करे। किसी भी स्थिति में विपक्षी अवैध कब्जा न करें न सी0एन0टी0एक्ट का उल्लंघन करें। वर्तमान रैयत के सन्तुष्ट हाने पर ही कार्रवाई हो। तत्पश्चात वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा





Date of order of proceeding

2 0

Order with the signature of the Court

3

Office action taken with date

4

उभय पक्ष उपस्थित / सहायक सरकारी
 अधिकारता न्यायालय में उपस्थित है २२५०२०
 आर० वाइ० संख्या ८९/२०१०-११ में अनुमण्डल
 दण्डाधिकारी सिमडेगा द्वारा पारित आदेश
 के आलोक में श्री मनोज कुमार सिंह पिता
 एवं कुलन सिंह सांजन खलडगा बाना
 सिमडेगा जिला सिमडेगा के रफावा नं० ५८
 प्लॉट नं० ६३१ रकबा ०.०१२१ एकड़ का ६२५०००/-
 (छह लाख पचास हजार) रुपये में आजादी शक्ति
 आवेदिका अर्थात् राहिल संपत्ति पिता एवं
 कुलनाथ संपत्ति सांजन खलडगा बाना सिमडेगा
 जिला सिमडेगा का सहायक सरकारी अधिकारता
 अनुजा कुमार एवं आवेदक के अधिकारता सतिराम
 महता के पहचान पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष
 नकद मुगलान किया गया जो अभिलेख
 में दर्ज है।


लखवा किया एवं संकोचित

(Signature)
 अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
 सिमडेगा।

(Signature)
 अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
 सिमडेगा।

से राहिल खोली पिता कुलनाथ खलडगा बाना सिमडेगा
 जिला सिमडेगा नगर ५८ प्लॉट ६३१
 रकबा १२.६६६ डि का मुआवजा ६२५०००/- रुपये पायी पर
 अर्थात् २ लाख का।
 Volentary Rahil Swansi who Received Compensation
 amount for 12.666 decimal plots for Rs. 625000/-
 Five thousand only.

Petitioner Smt. Rahil Swansi
 received compensation amount of
 Rs. 6,25,000.00 (Rupees 6 lacs
 twenty-five thousand only) from the
 opposite party Manoj Kumar Singh
 before court in my presence.
 Anuj Kumar
 D. G. P.



अभिलेख कः ११

लिना ४२३

सेवा में

अनुमंडल अधिकारी, सिमडेगा।

श्रीमती राहिल सक्ती पति श्री सुधीर सक्ती

विषय :- S.A.R. वाद सं. 89/2010

मनोज कुमार सिंह पिता श्री सुधीर सिंह

ग्राम

खाता नं.

प्लॉट नं.

रकबा

सलडेगा

88

631

0.12 1/2

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विन्दुवार प्रतिवेदन निम्नलिखित है

- विपक्षी का प्रस्तावित भूमि पर किस प्रकार का कच्चा है ?
→ मजान शहरी कंगरु अर्द्ध दरम कच्चा है।
- विपक्षी का कितनी भूमि पर कच्चा है और कब से है ?
→ विपक्षी को 0.12 1/2 हेक्टेयर पर कच्चा है जो 1967 ई. में ही बनाया गया था।
- विपक्षी द्वारा मकान, कुआ बनाया गया है या कोई विक्रम का कि-किया गया है तो उसका पूरा-ब्यारा दें जैसे -

क) मकान कब से बना है कच्चा है या पक्का तथा कितनी भूमि पर अवस्थित है

→ मजान 2005 ई. में बना है, अर्द्ध दरम है 0.02 हे. पर बना है और कच्चा है।

ख) उसकी अनुमानित कीमत क्या है ?
→ मजान का बरा की कीमत 2,00,000 (दो लाख रुपये) अनुमानित है।

ग) कुआ है तो कब से बना है उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

→ नहीं है।

- खतियानी रैयत कौन है यदि खतियानी रैयत दूसरे व्यक्ति है तो आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है ?

→ मनुकु सुब्बरी पिता मनुकु सुब्बरी, किरायेदार का पति है।

- पंजी II रैयत कौन है उनका नाम ब्योरे के साथ दें ?

→ श्रीमती राहिल सक्ती पति श्री सुधीर सक्ती

- विवादित भू की चौहददी -

उ. 50' चौ. 100' ल.

द. 50' चौ. 100' ल.

प. 50' चौ. 100' ल.

अं. 88

शुद्धीकरण कार्य प्रतिवेदन का 5 ही प्लॉट अं. 88 आदिगरी (मजान) अं. 88 है।

प्रतिवेदन अं. 88 प्रतिवेदन अं. 88 के अंतर्गत है।

है। प्रतिक्रिया आ सकता है।

शुद्धीकरण कार्य प्रतिवेदन अं. 88

Handwritten signature

अंचल अधिकारी सिमडेगा

अधिकारी

अधिकारी



भारत अस्तित्व क्षेत्र विनियम 1989 छोटा नागपुर अधिनियम 1967
के अधीन भूमि वापसी के लिए आवेदन-पत्र।

सेवा में,

~~श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी~~
~~सिमडेगा~~

1. आवेदक का नाम एवं पुरा ब्यौरा:-

आवेदक का नाम:- श्रीमति राहिल खंती

पिता का नाम:- स्व० बुधनाथ खंती

ग्राम:- ~~सिमडेगा~~ अंचल- ~~सिमडेगा~~ अनुमंडल-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।

2. क्या आवेदक अनुसूचित जन जाति के सदस्य है ? जी हाँ

3. वापसी ली जाने वाली जमीन का पूर्ण विवरण:-

मौजा- ~~सिमडेगा~~ थाना नं०- 117

थाना- ~~सिमडेगा~~ खंता नं०- 58

प्लॉट नं०- 631 रकबा- 0.15 एकड़

4. जिस व्यक्ति के दखल में जमीन है उसका ब्यौरा:-

नाम: श्री मनोज कुमार सिंह पिता/पति: स्व० भुवनाथ सिंह

जाति: राजपुत्र ग्राम: ~~सिमडेगा~~

थाना- ~~सिमडेगा~~ अंचल- ~~सिमडेगा~~ अनुमंडल (~~सिमडेगा~~) जिला ~~सिमडेगा~~

5. वापस ली जाने वाली जमीन संबंधी विवरण:-

क) जमीन का अंतरण की तिथि- खरीदारी में वाद दाय्य नहीं किया

ख) क्या जमीन अंतरण निबंधित विक्रय-पत्र/ रजिस्टर्ड सेल

लीज ब्रश गिफ्ट या ठेका आदि द्वारा किया है, यदि हो तो उसका

विवरण:- नोजाप्रज दाय्यकार हैं कोई कारबार मुफ्त नहीं है

ग) क्या जमीन के हस्तान्तरित में उपायुक्त की पूर्ण अनुमति प्राप्त की गयी है

यदि हो तो उसका फेरा सं०- X

घ) क्या जमीन का हस्तान्तरण, छल प्रपत्र या अन्यत्र नाजायज तरीके से किया

गया है यदि हो तो उसका संक्षिप्त विवरण:- नोजाप्रज दाय्यकार हैं।

6. वापस ली जाने वाली जमीन की स्थिति:- पकी ईंट से सीमेंट की मकान का धाकना है जिसपर एक्सेसटल से धारा गया है।

क्या उस जमीन का पक्का मकान आदि भी बने है, यदि हो तो उसके बनने की

तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य:- करीक की मात्रा का मकान है।

7. अन्याय संबंधी सूचनाएं, यदि कोई हों:-

वर्तमान में मैं राउरखेला में रहती

जमीन का मुकाबला

किया जाये।

राहिल साकासी
आवेदक का पूरा ह०/-



Signature of the applicant, dated 9.11.10

Official stamp of the District Collector, Simdega


Official stamp of the District Collector, Simdega



NO-3448
18-3-11

समक्ष,

नोटरी पब्लिक
शापथ-पत्र



C.F. 3278/11
RS: 5/-

मैं, राहिल संवासी पिता स्व० बुधनाथ संवासी उम्र करीब 60 वर्ष
निवास ग्राम-सलडेगा, थाना एवं जिला-सिमडेगा शापथ ब्यान
करता हूँ :-

- ११॥ यह कि, मैं निवास ग्राम-सलडेगा, थाना एवं जिला-सिमडेगा का निवासी हूँ ।
- १२॥ यह कि, ग्राम-सलडेगा के खाता नं०- 58, प्लॉट नं०- 631, रकबा 0.15 एकड़ मेरी खरीदगी जमीन है ।
- १३॥ यह कि, उक्त जमीन को मैं मनोज कुमार सिंह पिता स्व० हुलन सिंह ग्राम-सलडेगा थाना एवं जिला-सिमडेगा के हाथ गैर कानूनी ढंग से पूर्व में ही बेच दी हूँ ।
- १४॥ यह कि, उपरोक्त जमीन पर विपक्षी मनोज कुमार सिंह मकान बना कर रहते है तथा घर बारी है ।
- १५॥ यह कि, मुझे उक्त जमीन का उचित मुआवजा दिलवा दिया जाय जिसका मैं हकदार हूँ ।
आइन्हे श्रीमान मालिक हैं ।

सही/- राहिल संवासी


हलफनामा

मैं, राहिल संवासी यह हलफन तसदीक करती हूँ कि इस
शापथ-पत्र में लिखी गई सारी बातें सही एवं सत्य हैं ।


सही/- राहिल संवासी

प्रार्थी जो, श्री सीता राम महतो अधिवक्ता सिमडेगा के द्वारा
पहचान किये गये है ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर इस शापथ-पत्र
की सत्यता की पुष्टि की है ।

पहचान किये,



नोटरी पब्लिक,
सिमडेगा ।



Sita Ram Mahato
अधिवक्ता सिमडेगा 18.3.11

No. AF 718 (C)
2011

BAR ASSOCIATION SIMDEGA